न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/डिक्री/टीए/5664/2003/अलवर

दामोदरलाल पुत्र प्रसादीलाल (फौत) के कायम मुकामः–
1. रमेश चंद पुत्र दामोदारलाल(फौत) के कायम मुकामः–
   1/1. मंजू शर्मा पत्नि रमेशचंद शर्मा
   1/2. दीपक पुत्र रमेशचंद शर्मा
   1/3. राहुल पुत्र रमेशचंद शर्मा
2. सुरेश चंद पुत्र दामोदरलाल
3. कपूरचंद पुत्र दामोदरलाल
4. राजेन्द्र शर्मा पुत्र दामोदरलाल
5. मुकेश शर्मा पुत्र दामोदरलाल
   समस्त जाति ब्राहमण निवासी ग्राम धमरेड तहसील राजगढ जिला अलवर

.....अपीलार्थी

बनाम

1– हीरालाल पुत्र रेवडमल जाति डाकौत निवासी ग्राम धमरेड तहसील राजगढ जिला अलवर
2– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजगढ जिला अलवर

.....प्रत्यर्थीगण

खण्ड–पीठ
श्री हेमन्त कुमार गेरा, अध्यक्ष
श्री मदनलाल नेहरा, सदस्य

उपस्थित :
श्री अशोक अग्रवाल, अभिभाषक अपीलार्थी
श्री जे.के.पंत, अभिभाषक प्रत्यर्थी

दिनांक 11.12.2025

निर्णय

1– यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 224 के अंतर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अलवर द्वारा अपील सं. 79/02 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 17–10–03 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2— अपील ज्ञापन के अनुसार प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलाट/वादी ने एक वाद खातेदारी उद्घोषणा बाबत् न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि खसरा नम्बर 1038 रकबा 10 बिस्वा का आवंटन दिनांक 27—05—68 को हुआ था तब से लेकर उक्त वादग्रस्त खसरा नम्बर 1038 के स्थान पर 1308 दर्ज हो जाने से बंदोबस्त विभाग ने संवत 2020 में उक्त भूमि को सिवाय चक दर्ज कर दिया जबकि उक्त आवंटन बाबत पटवारी हलका ने भी खसरा नम्बर 1038 की ही रिपोर्ट की थी तथा खसरा नम्बर 1038 पर ही वादी का कब्जा था। प्रार्थी/वादी/ अपीलांट को जब पटटा मिला तब त्रुटि का एहसास हुआ। गत खसरा नम्बर 1038 का हाल नम्बर 1692 रकबा 15 एयर है तथा खसरा नम्बर 1308 अस्तित्व में ही नहीं है। उक्त आश्य का वाद वादी/अपीलांट ने रेस्पो.सं. 2 सरकार के विरुद्ध प्रस्तुत किया था। परीक्षण न्यायालय उपखंड अधिकारी राजगढ ने उभय पक्ष को सुनकर आवश्यक तनकीयात कायम करते हुये अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 23—5—01 से वादी का वाद डिक्री कर दिया। जिससे असन्तुष्ट हो कर रेस्पोडेंट्स ने प्रथम अपील, न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अलवर के समक्ष प्रस्तुत की, जिसे प्रथम अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अलवर ने अपने निर्णय दिनांक 17—10—03 द्वारा स्वीकार करते हुये परीक्षण न्यायालय का निर्णय निरस्त कर दिया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर यह द्वितीय अपील राजस्व मण्डल में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत की गई है।

3— विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील ज्ञापन मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये अभिकथन किया कि विचारण न्यायालय उपखंड अधिकारी ने दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर विस्तृत विवेचन करते हुये वादी का वाद डिक्री किया था। अपीलीय न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि अपीलांट को खसरा नंबर 1038 का ही आवंटन हुआ था जिस पर अपीलार्थी आवंटन दिनांक से काबिजकाश्त है। रेस्पोडेंट का ना तो उक्त भूमि पर कब्जा है और न ही उसका कोई विधिक अधिकार है। अपीलार्थी को खसरा नंबर 1038 रकबा 10 बिस्वा का नियमन दिनांक 27—5—68 को हुआ था उक्त खसरा नंबर 1038 के हाल खसरा नंबर 1692 रकबा 86 एयर बना तथा हाल खसरा नंबर 1692 के 12 एयर पर ही अपीलार्थी काबिजकाश्त है। यदि रेस्पोडेंट अपीलार्थी के नियमन से किसी प्रकार से व्यथित था तो उसके नियमन के खिलाफ चाराजोही करनी चाहिये थी जबकि रेस्पोडेंट सं.1 ने अपीलार्थी के नियमन के विरूद्ध कोई चाराजोही नहीं की। ऐसी स्थिति में उसे हाल खसरा नंबर 1692 के 12 एयर में अपीलार्थी की खातेदारी पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती। रेस्पोडेंट सं.1 को अपने खेत या खातेदारी में आवागमन हेतु रास्ते की आवश्यकता है तो वह रिकार्ड में दर्ज नक्शें के अनुसार रास्ते को खुलवाकर आवागमन करे। अपीलार्थी की खातेदारी की

आराजी में से होकर वह आवागमन नहीं कर सकता। प्रत्यर्थी सं.1 का खसरा नंबर 1692 पर कोई अधिकार व आधिपत्य नहीं होने से वह व्यथित पक्षकार नहीं है, इसलिये प्रत्यर्थी सं.1 को अपील प्रस्तुत करने का लोकस ही नहीं था। विचारण न्यायालय ने प्रकरण में आये अभिलेखीय एवं मौखिक साक्ष्यों का विधिसम्मत् विश्लेषण कर तनकीवार निष्कर्ष अंकित कर वादी अपीलांट का वाद सही रूप से डिक्री किया था। किंतु अपीलीय न्यायालय ने परीक्षण न्यायालय का निर्णय निरस्त कर अपील मनमाने तौर पर स्वीकार की है। अतः अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य निर्णय विधि विरूद्ध होने से खारिज किया जाकर यह द्वितीय अपील स्वीकार की जावे एवं परीक्षण न्यायालय का निर्णय बहाल रखा जावे।

4— विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थीगण ने उपरोक्त तर्को का विरोध करते हुये बहस में कहा कि रेस्पोडेंट को उसकी आराजी खसरा नंबर 1690 रकबा 28 एयर ग्राम धमरेड में खसरा नंबर 1692 सिवायचक मे होकर आने जाने में किसी प्रकार की रूकावट मजाहमत नहीं करने से वादीगण अपीलार्थीगण को पाबंद करने की स्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पूर्व में उपखंड अधिकारी द्वारा दिनांक 30—3—02 को दिया जा चुका है तथा विचारण न्यायालय में रेस्पोडेंट को पक्षकार नहीं बनाया गया। ऐसी स्थिति में उसके हित प्रतिकूल रूपसे प्रभावित हो रहे थे। अपीलार्थी को पट्टा खसरा नंबर 1038 के स्थान पर 1308 का दिया गया जिसे दुरूस्त करने का अधिकार आवंटन समिति को है। खातेदारी का दावा प्रस्तुत कर खसरा नंबर में परिवर्तन नहीं कराया जा सकता और ना ही उपखंड अधिकारी दावे के द्वारा कोई अनुतोष प्रदान कर सकते है। विचारण न्यायालय ने वादी को कानून और नियमों की अवहेलना कर खातेदारी प्रदान की है। परीक्षण न्यायालय ने अधिकारिता क्षेत्र से परे जाकर वादी का वाद त्रुटिपूर्ण तरीके से डिक्री किया था किंतु अपीलीय न्यायालय ने रिकोर्ड पर उपलब्ध समस्त तथ्यों, साक्ष्यों, व दस्तावेजातों की विस्तृत विवेचना करते हुये वादी रेस्पोडेंट्स की अपील स्वीकार कर परीक्षण न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त किया है। जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होने से यह अपील खारिज की जावे।

5— उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली व अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अद्योपांत अवलोकन किया गया।

6— पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि वादी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत राजस्व वाद बाबत् घोषणा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखंड अधिकारी राजगढ ने उभय पक्ष को सुनकर आवश्यक तनकीयात कायम करते हुये अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 23—5—2001 द्वारा डिक्री कर दिया जिसके विरूद्ध प्रस्तुत प्रथम अपील, अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अलवर ने अपने निर्णय

दिनांक 17–10–2003 द्वारा स्वीकार कर परीक्षण न्यायालय का निर्णय निरस्त कर दिया। जिसके विरूद्ध यह द्वितीय अपील राजस्व मण्डल में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत की गई है। प्रकरण में विवाद्यक सं.1 महत्वपूर्ण है जिसका निस्तारण दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने एक दूसरे के विपरीत किया है। विचारण न्यायालय ने तनकी सं.1 का निस्तारण वादी/अपीलार्थी के पक्ष में निर्णित करते हुये यह अंकित किया कि कब्जा होने के पुष्टि में खसरा परिवर्तनशील की नकल पेश की है और प्रतिवादी ने भी अपने जवाब में अतिक्रमी की हैसियत से वादी का आराजी पर कब्जा माना है। रिपोर्ट पटवारी हल्का इएक्स 6 के अनुसार पटवारी द्वारा वादी के विरूद्ध खसरा नम्बर 1038 रकबा 10 बिस्वा नोतोड की रिपोर्ट की गई है। तहसीलदार राजगढ़ ने नियमन खसरा नंबर 1308 का किया जाना अपने आदेश में लिखा गया है। पटवारी हल्का ने तहसीलदार को 1038 नम्बर की रिपोर्ट की थी। खसरा नंबर 1308 के सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की थी। वादी को पूर्व में खसरा नम्बर 1038 ही विनियमन होना माना तथा खसरा परिवर्तनशील संवत् 2053, 2054 के अनुसार वादी का अतिक्रमण खसरा नम्बर 1692 रकबा 15 एयर सिवायचक भूमि पर है। विचारण न्यायालय ने वादी को पूर्व में खसरा नम्बर 1038 में से 10 बिस्वा भूमि विनियमन होना अंकित किया तथा वादी को गत खसरा नम्बर 1038 से बनने वाले हाल खसरा नम्बर 1692 रकबा 86 एयर में से 12 एयर भूमि की खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी मानते हुये तनकी नम्बर एक का निर्णय वादी के पक्ष में किया है।

7– इसके विपरीत अपीलीय न्यायालय ने तनकी सं.1 ''आया वादी हाल खसरा नंबर 1692 रकबा 15 एयर वाके ग्राम धमरेड का खातेदार काश्तकार है तथा राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का अधिकारी है।'' का निस्तारण करते हुये यह अंकित किया कि खसरा नं० 1692 के पूर्व खसरा नंबर 1038 बाबत् वादी का दावा था जबकि उसके पक्ष में नियमन खसरा नंबर 1308 का कर कर दिया और पट्टा भी 1308 का दिया गया है। जबकि उन्हें पट्टा खसरा नं० 1038 का दिया जाना चाहिये था। अतः खसरा नंबर 1308 के स्थान पर 1038 को दुरूस्त करते हुए इसकी खातेदारी की घोषणा की जाये, जिसके वर्तमान नं० 1692 है। वस्तुस्थिति यह है कि खातेदारी की घोषणा का दावा किसी भी समय किया जा सकता है, परन्तु इस प्रकरण में अंकित किये गये तथ्य के अनुसार यह जाहिर होता है कि पट्वारी की रिपोर्ट को नजरअंदाज करते हुए तहसीलदार द्वारा 1038 के स्थान पर 1308 की भूमि का नियमन करने की सिफारिश की गई। तदनुसार आवंटन कमेटी द्वारा खसरा नं० 1308 की भूमि नियमन करने की सिफारिश की गई। वस्तुतः यह कार्यवाही आवंटन कमेटी द्वारा की गई थी तथा आवंटन कमेटी द्वारा यह गलती तथ्यों के विरुद्ध जाकर की गई थी जिसे आवंटन कमेटी द्वारा ही सही किया जा सकता था अथवा उनके मना करने पर आवंटन कमेटी के आदेश की

अपील नियमानुसार की जा सकती थी। जहां तक खातेदारी घोषणा का दावा प्रस्तुत करके अनुतोष प्राप्त करने का संबंध है, विवादित आराजी खसरा नंबर 1038 सिवायचक भूमि है, जिसकी खातेदारी कब्जे के आधार पर नहीं दी जा सकती है। आवंटन कमेटी द्वारा यदि सहवन से खसरा नंबर 1038 के स्थान पर 1308 अंकित कर दिया गया था तो उसकी दुरुस्ती तत्समय आवंटन कमेटी के द्वारा की जा सकती थी। खसरा नंबर 1038 में वादी बतौर अतिक्रमी काबिज है और अतिक्रमी को किसी भी स्थिति में कब्जे के आधार पर खातेदारी नहीं दी जा सकती। खसरा नंबर 1308 की भूमि के नियमन के संबंध में आवंटन कमेटी द्वारा ही सही अथवा गलत किये जाने की कार्यवाहीं के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में कार्यवाहीं की जानी चाहिये थी। दावे के माध्यम से खातेदारी प्राप्त किया जाना अपीलीय न्यायालय ने संभव नहीं मानते हुये तनकी सं.1 वादी के विरूद्ध निर्णित की है।

8— अपीलार्थी वादी ने आराजी खसरा नंबर 1038 की 10 बिस्वा भूमि का नियमन किया जाना अवगत कराया तथा आवंटन के पट्टे में खसरा नंबर 1308 रकबा 10 बिस्वा त्रुटिपूर्ण अंकित किये जाने पर उसे दुरूस्त करवाने का अनुतोष जरिये वाद विचारण न्यायालय से चाहा गया है। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रत्यर्थी मूल वाद में पक्षकार नहीं था। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़ द्वारा निर्णय दिनांक 30.03.2002 द्वारा एकपक्षीय डिक्री किया जाकर अपीलार्थी/प्रतिवादी को वादीगण को उसकी आराजी खसरा संख्या 1690 रकबा 0.28 एयर वाके ग्राम घमरेड़ तहसील राजगढ़ के खसरा संख्या 1692 सिवायचक में होकर आने जाने में किसी प्रकार की रूकावट व मजाहमत न करने से पाबंद किया है। प्रत्यर्थी ने उसकी खातेदारी की आराजी में खसरा संख्या 1692 सिवायचक की भूमि में से आवागमन में रूकावट व मजाहमत न करने की स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वाद 201/97 दिनांक 29.07.97 को प्रस्तुत किया, जिसमें अपीलार्थी पक्षकार था। अपीलार्थी ने खातेदारी घोषणा का वाद संख्या 329/97 दिनांक 22.12.1997 को विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसमें प्रत्यर्थी को पक्षकार संयोजित नहीं किया। अपीलार्थी ने घोषणा का वाद संख्या 329/97 प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत वाद संख्या 201/97 के पश्चात प्रस्तुत किया है फिर भी प्रत्यर्थी को पक्षकार संयोजित नहीं किया है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के वाद में प्रत्यर्थी को पक्षकार संयोजित करना आवश्यक है। खसरा संख्या 1692 सिवायचक 83 एयर में वादीगण/अपीलार्थी का वाद केवल 12 एयर भूमि के लिए ही है। प्रत्यर्थी के वाद में आवागमन हेतु रास्ते की भूमि कुल 83 एयर में से कौनसी है इस सम्बंध में कोई मौका रिपोर्ट पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। खसरा नंबर 1692 कुल रकबा 83 एयर में अपीलार्थी के कब्जे व नियमन की गई 12 एयर भूमि कौनसी है तथा प्रत्यर्थी द्वारा आवागमन हेतु स्थाई

निषेधाज्ञा की भूमि कौनसी है इस संबंध में कोई मौका रिपोर्ट व साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों का समर्थन नहीं किया जा सकता तथा प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रत्यर्थी को वाद में पक्षकार संयोजित कर पुनः निस्तारण हेतु निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

9— उपरोक्त विवेचन के अनुसार अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर योग्य विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़ का निर्णय व डिक्री दिनांक 23.05.2001 तथा योग्य प्रथम अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर का निर्णय दिनांक 17.10.2003 विधिसम्मत नहीं होने से खारिज किये जाते है तथा प्रकरण विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वाद में प्रत्यर्थी को पक्षकार संयोजित कर अपीलार्थी के घोषणा के वाद की वादग्रस्त भूमि व प्रत्यर्थी द्वारा आवागमन हेतु उपयोग में ली जा रही भूमि के संबंध में संबन्धित तहसीलदार से मौका रिपोर्ट प्राप्त कर उभयपक्ष को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान कर प्रकरण का पुनः नये सिरे से निस्तारण करें।

10— परिणामतः उपरोक्त अभिमत के अनुसार हस्तगत अपील आंशिक स्वीकार की जाकर प्रकरण विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़ को प्रतिप्रेषित किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख निर्णय प्रति के साथ लौटाया जाकर पत्रावली बाद फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मदनलाल नेहरा)
सदस्य

(हेमन्त कुमार गेरा)
अध्यक्ष